21.04.2023 डिक्रीधारीगण सुमतिया, सुखलाल, सुखसाय, फुलेश्वरी एवं जुगेश्वरी सहित श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता।

नि०ऋणी अनुपस्थित।

निष्पादन लिपिक का प्रतिवेदन प्राप्त, जिसके अनुसार चेक क्रमांक–516551 की राशि रूपये 12,74,238/– दिनांक 23.03.2023 को इस अधिकरण के खाता में कलेक्शन उपरांत जमा किया गया है।

श्री गुप्ता अधिवक्ता ने डिक्रीधारीगण का आधार कार्ड एवं बैंक आफ बड़ौदा, शाखा–अम्बिकापुर का पासबुक मूल एवं छायाप्रति, पक्षकारों के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत किया, मिलान उपरांत मूल पासबुक एवं आधार कार्ड वापस कर पावती ली जाये।

बीमा कंपनी की ओर से उक्त जमा राशि का भुगतान डिक्रीधारीगण को इस अधिकरण के अधिनिर्णय दिनांक 02.07.2022 के अनुपात में किया जाना है।

उक्त प्रतिकर राशि में से डिक्रीधारी /आवेदिका क्र.–1 समुतिया रूपये 4,81,390/–, डिक्रीधारी/आवेदक क्र.–2 सुखलाल रूपये 2,13,473/– तथा डिक्रीधारी/आवेदक क्र.–3 सुखसाय, डिक्रीधारी/आवेदिका क्र.–4 फुलेश्वरी एवं डिक्रीधारी/आवेदिका क्र.–5 जुगेश्वरी में से प्रत्येक रूपये 1,93,125/–प्राप्त करेंगे।

डिक्रीधारी/आवेदिका क्रमांक–1 सुमतिया को मिलने वाली राशि में से रूपये 1,81,390/– एवं डिक्रीधारी/आवेदक क्र.–2 सुखलाल के हिस्से की राशि में से रूपये 63,473/– को उनके बचत खाता में जमा कर प्रदान किया जाना है। डिक्रीधारी/आवेदक क्र.–1 एवं 2 के हिस्से की शेष राशि को 5–5 वर्ष की अविध हेतु तथा अवयस्क डिक्रीधारी/आवेदक क्र.–3 सुखसाय, डिक्रीधारी/आवेदिका क्र.–4 फुलेश्वरी एवं डिक्रीधारी/आवेदिका क्र.–5 जुगेश्वरी के हिस्से की सम्पूर्ण राशियों को उनके वयस्क होने अथवा 5 वर्ष की अवधि जो भी बाद में हो, के लिये उनके पृथक–पृथक नाम से सावधि जमा खाता खोला जाकर विनियोजित कर रखा जाना है। सावधि जमा राशि पर देय ब्याज वे नगद प्राप्त करेंगे।

डिक्रीधारी/आवेदकगण की पहचान श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता ने किया है।

RAKESH BIHARI GHORE

Digitally signed by RAKESH BIHARI GHORE
Date: 2023.04.21 16:00:26 +0530

अतः उपरोक्तानुसार राशि भुगतान किये जाने हेतु एकाउंट पेयी चेक क्रमांक–476192, रूपये 12,74,238/– दिनांक–21.04.2023 शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा, शाखा–अम्बिकापुर को मय ज्ञापन भेजकर पावती ली जाये।

श्री गुप्ता अधिवक्ता मामले को पूर्ण संतुष्टि में निरस्त किये जाने का निवेदन किये। उक्त निवेदन स्वीकार कर यह निष्पादन प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में निरस्त किया जाता है।

नतीजा अंकित कर प्रकरण, अभिलेखागार में जमा किया जाये।

RAKESH BIHARI GHORE

Digitally signed by RAKESH BIHARI GHORE
Date: 2023.04.21 16:00:34 +0530

सही/-
(राकेश बिहारी घोरे)
मो.दु.दा.अधिकरण, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)